

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

विषय:-रिट याचिका क्रमांक 31978/2015 द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खान विरुद्ध मओप्रशासन व अन्य।

-00-

पंजी क्रमांक 72/2016, दिनांक 21.02.2016

कृपया विवाराधीन पत्र का अवलोकन करें।

2/ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका में कलेक्टर जिला भोपाल ने प्रकरण में सम्पदा अधिकारी, संपदा संचालनालय, भोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर आदेश की प्रति विभाग को उपलब्ध कराई है। प्रतिरक्षण हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित करने हेतु प्रस्तुत है।

अनु0अधि0

अ. स.

27.2.16

D.S.(SR)

23

4/3/16

नस्ती पर रखी है।

प्रतिरक्षण आदेश जारी कर प्रति नस्ती पर रखी है।

राजस्व विभाग

(भूमिगत मिस्र)
अति. सचिव
विधि विभाग

आ-राजस्व अंजी-२
का विभाग

P-1/c

RECORDED/DR
4/3/2016

27/2

U.O. 29/2016/445
4/3/2016

7730
C.R

21/2-1

○
उब्बीस-२ सचिवालय

विषय: विषय:-रिट याचिका क्रमांक 31978/2015 द्वारा खान अब्दुल
गफ्फार खान विरुद्ध म0प्र0शासन व अन्य।

का विभाग

-00-

Di 17/10
IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

SPECIAL LEAVE PETITION (C.) No. 31978 OF 2015

(Against the Judgment and final order dated 08.09.2015
passed by Hon'ble High Court of Madhya Pradesh
Principal Seat at Jabalpur (M.P.) in I.A. No.10658/2015
in First Appeal No.860 of 2008)

(WITH PRAYER FOR INTERIM RELIEF)

IN THE MATTER OF:

Khan Abdul Gaffar Khan, Social
Service and Educational Society

... Petitioner

Versus

The State of M.P. & Ors.

... Respondents

WITH

I.A. No.

(Application for exemption from filing Official Translation)

(PAPER - BOOK)

(KINDLY SEE INDEX INSIDE)

ADVOCATE FOR THE PETITIONER: MR. SHAKIL AHMAD SYED

कार्यालय, कलेक्टर (लिांटिगेशन), भोपाल

// अंगदेश //

क्रमांक / / एफ- / लि. 0 / 2015

भोपाल, दिनांक .../12/2015

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम

1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए स्वयं/वास्तविक अधिकारी को "S.D.P.-NG-

31978/स्वातंत्र्यसंग्रहणार्थ स्वातंत्र्य विरोध 5090 शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए मा० उच्चतम न्यायालय जयपुर में तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने तथा कार्य करने आवेदन करने और उप राजात होने के लिए नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- 1-- प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता / शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट करेगा, यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श च किया गया था, तो उक्त विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी ।
- 2-- समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अभिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- 3-- वाद पत्र / याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
- 4-- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से समर्पक करेगा ।
- 5-- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवायेगा ;
- 6-- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज-पत्र भेजेगा :-
 (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट,
 (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप,
 (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना.....
 प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है ,
 (घ) मामले के विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज-पत्रों की प्रतियां, इसमें
 वाद सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए ,
- 7-- मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों में स्वयं को सदैव ही अवगत रखना ।
- 8-- जब भी कोई आदेश / निर्णय दिशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब

R
11.12.15

- 9- विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- 10- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिए इस कार्यालय को भेजें।
- 11- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियों करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- 12- जैसे ही उसे स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
- 13- प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाए।
- 14- प्रभारी अधिकारी या यदि कोई अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा, निर्णय की एक प्रति अभिप्राय की जाए और रिपोर्ट के ज्ञान भेजी जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
म. प्र. शासन विधि और विचार कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 07/12/2015.

पृ0क0/1285/एफ-2300/लि0./2015
प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ~~राज्यपाल~~ की ओर भुवनार्थ भेजकर अनुरोध है कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्रतिरक्षण आदेश जारी कराने का कष्ट करें।
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि विभाग की ओर भेजकर अनुरोध है, कि कृपया प्रकरण में प्रतिरक्षण आदेश जारी कराने का कष्ट करें।
- 3- महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनाार्थ।
- 4- सहायक अभियोजक, मध्यप्रदेश शासन भोपाल और प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण से संबंधित दस्तावेज के साथ जवाबदावा अविलंब समयसीमा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा शासन हित में प्रतिरक्षण की व्यवस्था करे, जवाबदावे की एक-एक प्रति विभागाध्यक्ष तथा इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें तथा प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहे।

संलग्न:- वाद पत्र की छायाप्रति।

S02B

8/12/15

अपर कलेक्टर एवं उप सचिव
म. प्र. शासन विधि और विचार कार्य विभाग

982/ACB/15
8/12/15